मूलवाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारीः– श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कानसिंह पुत्र फतेहसिंह 2. जुझारसिंह पुत्र फतेहसिंह 3. मालमसिंह पुत्र फतेहसिंह 4. जोरसिंह पुत्र फतेहसिंह 5. महेन्द्रसिंह पुत्र फतेहसिंह जातियान राजपुत निवासी पायला कलां, तहसील सिणधरी		1. फतेहसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः– 88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :–14 / 2024

निर्णय दिनांक :– 09.07.2024

वादीगण की ओर से श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता , प्रतिवादी सं. 1 के वकील, 2 के पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.07.2024 को श्री जगदीशसिंह आशिया (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः–** वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा संख्या 873 / 595 रकबा 11.6333 हैक्टेयर मौजा व पटवार मंडल पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ सहखातेदार करार देते हुए वादीगण प्रत्येक का 1 / 6–1 / 6 हिस्सा उनकी खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 09.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:09
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादीनीगण	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	
		... की फीस	

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी–बालोतरा

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 14/2024

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. कानसिंह पुत्र फतेहसिंह 2. जुझारसिंह पुत्र फतेहसिंह 3. मालमसिंह पुत्र फतेहसिंह 4. जोरसिंह पुत्र फतेहसिंह 5. महेन्द्रसिंह पुत्र फतेहसिंह जातियान राजपुत निवासी पायला कलां, तहसील सिणधरी		1. फतेहसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान का□तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 2 के पैरोकार उप.।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक– 09.07.2024

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि व[illegible] एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत खसरा संख्या 873/595 रकबा 11.6333 हैक्टेयर मौजा राजस्व ग्राम व पटवार मंडल पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 अकेले के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्व पुरूष स्व. श्री लालसिंह के जीवित समय में उनके द्वारा खसरा संख्या

595 ग्राम पायला कला में वक्त सेटलमेंट के समय अपने नाम से प्राप्त की थी। जिस पर वर्तमान में वादीगण व उनके पिताजी काबिज है और अपना अपना कब्जा काश्त है। भूमि सामलाती होने से वादीगण को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादीगण प्रत्येक के अपने 1/6 1/6 हिस्से की भूमि अपने नाम से खातेदारी की घोषणा करवाना चाहते है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खेत खसरा संख्या 873/595 रकबा 11.6333 हैक्टेयर मौजा राजस्व ग्राम व पटवार मंडल पायला कला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा की भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/6 हिस्सा घोषित कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त खेतों में वादीगण के नाम का इन्द्राज की जावें।

2.वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबाली जवाब पेश करते हुए वाद के तथ्यों को स्वीकार किया गया।

3.प्रतिवादी की तरफ से इकबाली जवाब पेश होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादी गवाहान में पीडब्लू–01 कानसिंह, पीडब्लू–02 जुझारसिंह, पीडब्लू–03 फतेहसिंह, पीडब्लू–04 वालाराम, के बयानात करवाए गए। वादी अधिवक्ता की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी–1 जमाबंदी, प्रदर्श पी–2 नामान्तरकरण, प्रदर्श पी–3 कानसिंह का पहचान पत्र, प्रदर्श पी–4 कानसिंह आधारकार्ड, प्रदर्श पी–5 जुझारसिंह आधार कार्ड, प्रदर्श पी–6 परिचय पत्र जुझारसिंह, प्रदर्श पी–7 मालमसिंह आधार कार्ड, प्रदर्श पी–8 मालमसिंह पेनकार्ड, प्रदर्श पी–9 जोरसिंह पहचान पत्र, प्रदर्श पी–10 महेन्द्रसिंह पहचान पत्र, प्रदर्श पी–11 जोरसिंह आधार कार्ड, प्रदर्श पी–12 महेन्द्र सिंह आधार कार्ड, प्रदर्श पी–13 राजीनामा पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:09 IST
Reason: SelfAttested

4.वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी काश्त का अविभाजित खेत खसरा संख्या 873/595 रकबा 11.6333 हैक्टेयर मौजा राजस्व ग्राम व पटवार मंडल पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा का आया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्व पुरूष स्व. श्री लालसिंह के जीवित समय में उनके द्वारा खसरा संख्या 595 ग्राम पायला कला में वक्त सेटलमेंट के समय अपने नाम से प्राप्त की थी। जिस पर वर्तमान में वादीगण व उनके पिताजी काबिज है और अपना अपना कब्जा काश्त है।

1/6 हिस्सा बनता है। भूमि पेतृक होने से वादीगण को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पडता है। इस प्रकार वादीगण प्रत्येक का 1/6 1/6 हिस्सा अपनी खातेदारी घोषित करवाने के हकदार है। वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकारते हुए अपनी ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5.लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा संख्या 873/595 रकबा 11.6333 हैक्टेयर मौजा राजस्व ग्राम व पटवार मंडल पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ सहखातेदार करार देते हुए वादीगण प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा उनकी खातेदारी में घोषित किया जाता है। शेष बदूस्तर रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:55:09 IST
Reason: SelfAttested